न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

विभाजन वाद–23 / 2023

योगेन्द्र राय वगैरह.....वादीगण

बनाम

सोली राय वगैरह.....प्रतिवादीगण

13.12.24 अभिलेख आज वादी सं0–2 एवं 3 की ओर से दिवानी प्रकिया संहिता के आदेश 22 नियम 3 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक–26.07.2024 तथा प्रतिवादी सं0–5 ता 8 की ओर से दाखिल प्रत्युत्तर दिनांक–20.09.2024 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

अपने आवेदन में वादीगण ने निवेदन किया है कि वर्तमान वाद के वादी सं0–1 की मृत्यु दिनांक–19.04.2024 को हो चुकी है जिसके दो पुत्र वादी सं0–2 एवं 3 पूर्व से पक्षकार हैं तथा प्रतिवादी सं0–1 की पत्नी की मृत्यु पूर्व में ही हो चुकी है। अतः वर्तमान वाद में वादी सं0–1 के स्थान पर किसी अन्य को प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक नहीं है। वादी का आवेदन सत्यापित एवं शपथ–पत्र से समर्थित है। अतः उपरोक्त आवेदन को स्वीकृत करते हुए वादी सं0–1 का नाम विलोपित करने की कृपा प्रदान की जाए।

प्रतिवादी सं0–5 से 8 ने अपने प्रत्युत्तर में निवेदन किया है कि वादी सं0–2 एवं 3 द्वारा दाखिल आवेदन कानूनन पोषणीय नहीं है एवं उनको कोई कारण प्राप्त नहीं है तथा आवेदन परिसीमा, अधित्यजन, मौनस्वीकृति एवं विवंधन के सिद्धांतों द्वारा बाधित है एवं उपरोक्त आवेदन समय–सीमा के अंदर दाखिल नहीं है। अतः वादी सं0–2 एवं 3 द्वारा दााखिल आवेदन को न्यायहित में खारिज करने की कृपा की जाए।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद धारा–89 सी0पी0सी0 की सुनवाई हेतु लंबित है तथा वादी सं0–1 वर्तमान वाद में आवश्यक पक्षकार जिनके विधिक उत्तराकाधिकारी पूर्व से ही वर्तमान वाद में वादी सं0–2 एवं 3 के रूप में पक्षकार हैं। अतः वादी सं0–1 का नाम वादपत्र से विलोपित किया जाना वाद के अंतिम न्याय–निर्णयन हेतु आवश्यक प्रतीत होता है। वादी का आवेदन शपथ–पत्र से समर्थित है। तद्नुसार वादी द्वारा दाखिल उपरोक्त आवेदन न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि आवेदनांकित मृत वादी सं0–1 का नाम वादपत्र से विलोपित करें तथा धारा–89 सी0पी0सी0 की सुनवाई पश्चात् विवादयक गठन किया जाता है एवं अभिलेख को वादी साक्ष्य हेतु नियत किया जाता है।

वाद दिनांक– 07-02-25 वास्ते वादी साक्ष्य हेतु प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश,
शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।